107

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1212–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार बुरहानपुर, प्रकरण कमांक 1/अ–12/2016–17

1–हरीश पिता गोविंद भट्टड
2–कमल पिता गोविंद भट्टड
दोनों निवासी वेअर हाउस के पास, टैक्समो पाईप फैक्टरी के सामने ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर म0प्र0.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

संजय पिता छगनलाल अग्रवाल
निवासी कलेक्टोरेट के सामने रावेर रोड,
ग्राम मोहम्मदपुरा जिला बुरहानपुर म0प्र0 .....अनावेदक

श्री के0के0किल्लेदार, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एन0के0जाट, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/1/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार बुरहानपुर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 102/2, 106/2 रकबा 0.15 हेक्टैयर है, उक्त भूमि का सीमांकन किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30–12–2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर जो तथाकथित सीमांकन की जो कार्यवाही हुई है अवैधानिक है क्योंकि अनावेदक ने केवल उसके मालिकी स्वत्व की भूमि का ही सीमांकन करने हेतु निवेदन किया था और तत्कालीन नायब तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को उक्त दोनों भूमि का सीमाकन जारी करने का आदेश दिया किन्तु ग्राम पटवारी के द्वारा एक सूचना पत्र ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित खेत खसरा नम्बर 91/2, 91/9, 92/1, 93, 98, 99, 101/2 और 106/2 वाली भूमि को शासकीय अभिलेखों में टेक्समो पाईप्स एण्ड प्रोडक्ट्स के नाम दर्ज होना बताया है । इस तथाकथित सूचना पत्र में आवेदकगण के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है जबकि ग्राम मोहम्मद पुरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 110/2 रकबा 1.00 हेक्टेयर शासकीय अभिलेखों में आवेदकगणों के नाम से भूमिस्वामी हक में दर्ज है । इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदकगणों को उक्त सीमांकन की कार्यवाही को नोटिस जारी नहीं किया गया था इसलिये सम्पूर्ण कार्यवाही अनुचित अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही ऑफिस में बैठकर की गई ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन में पड़ोसी कृषक एवं हितबद्ध पक्षकारों सहित आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने किया गया सीमांकन अवैध है।

(4) सीमांकन ईटीएस मशीन नहीं किया गया है और ना मौके पर फील्डबुक बनायी गई है ।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधानों के विपरीत जाकर सीमांकन कार्यवाही की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 2010 आरएन 259, 1995 आरएन 214 व 1988 आरएन 105 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमिस्वामी अरूण से क्रय की गई है । प्रश्नाधीन भूमि क्रय करने के उपरांत उसके द्वारा विधिवत् सीमांकन कराया गया है ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् आवेदकगण सहित पडोसी कृषकों को सूचना दी जाकर ए0टी0एस0 मशीन से सीमांकन किया गया है ।

(3) नायब तहसीलदार के समक्ष सीमांकन में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है और मौके पर आवेदकपक्ष उपस्थित रहे हैं इस आधार पर कहा गया कि इस न्यायालय में निगरानी झूठे व असत्य आधारों पर प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की सूचना में उभयपक्ष को कराई गई नोटिस की तामीलें स्पष्ट नहीं है । तहसील न्यायालय के अभिलेख में फील्डबुक व नक्शा भी संलग्न नहीं है । सीमांकन कार्यवाही में आवेदक कमांक 2 कमल द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति भी ली गई थी जिसका निराकरण नहीं किया गया । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर व फील्डबुक एवं नक्शा तैयार कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसील न्यायालय को उभयपक्षों को सुनकर व फील्डबुक एवं नक्शा तैयार कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर